

(391)

निदेशालय के आदेश क्रमांक 925-928 दिनांक 13.4.2011 के तहत राजकीय महाविद्यालय थानागाजी को मांग संख्या 51 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789, अनुसूचित जातियों के लिए, विशिष्ट संघटक योजना (01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए) मद 89 अशंदायी पेंशन योजना में आवंटित बजट को आहरित किया जाता है।

(राशि

लाखों में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	आहरित की गई राशि
1	राज0 महा0 थानागाजी (330)	0.30
	योग	0.30

निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों की मांग के अनुसार बजट मांग संख्या 51 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789, अनुसूचित जातियों के लिए, विशिष्ट संघटक योजना (01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए) निम्नलिखित मदों में अतिरिक्त राशि का बजट आवंटन किया जाता है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	01 संवत्तन	89 अशंदायी पेंशन योजना
1	राज0 महा0, भोपालगढ (10105)	5.00	-
2	राज0 महा0, पोकरण (12160)	20.00	-
3	राज0 महा0, लालसोट (272)	8.00	-
4	राज. महा. कालाडेरा (265)	-	0.30
	योग	33.00	0.30

निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों की मांग के अनुसार बजट मांग संख्या 24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा (103), राजकीय कालेज तथा संस्थान (03), राजकीय महाविद्यालय स्त्रियों के लिए निम्नलिखित मदों में अतिरिक्त राशि का बजट आवंटन किया जाता है।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	01 संवत्तन	57 विशिष्ट सेवाओं के लिए व्यय	04 चिकित्सा व्यय	05 कार्यालय व्यय	89 अशंदायी पेंशन योजना
1	राज0 महिला महा0, शाहपुरा, जयपुर (316)	50.00	-	-	-	-
2	राज0 महिला महा0, चित्तौडगढ (302)	5.00	-	-	-	-
3	राज0 महिला महा0, बाडमेर (24208)	4.00	-	-	-	-
4	राज0 महिला महा0, झालावाड (305)	-	-	-	-	0.10
	योग	59.00	-	-	-	0.10

निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों को मांग संख्या 30 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 जन जाति उप योजना क्षेत्र, (01), राजकीय महाविद्यालय पुरुषों के लिए, 01 संवत्तन मद में आवंटित बजट को आहरित किया जाता है।

(राशि लाखों में)


क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	आहरित की गई राशि
1	राज. महा., सलूमबर (20277)	4.00
2	राज. महा., प्रतापगढ (322)	8.00
3	राज. महा., आबूरोड (320)	8.00
	योग	20.00

राजकीय महिला महाविद्यालय बांसवाडा को उनकी मांग के अनुसार मांग राख्या 30 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 जन जाति उप योजना क्षेत्र, (01), राजकीय महाविद्यालय पुरुषों के लिए, 01 सवेतन मद में अतिरिक्त राशि का बजट आवंटन किया जाता है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	मद	आवंटित बजट
1	राजकीय महिला महाविद्यालय बांसवाडा (323)	01 सवेतन	20.00
	योग		20.00

उक्त राशि का आहरण सामान्य लेखा नियमों के अनुसार किया जावे ।


संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

कमांक:एफ 20 (101/05) आयो/आकाशि/2011/ दिनांक : -1-2012
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
- 2- संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
- 3- मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा राज. जयपुर ।
- 4- डा. धीरेन्द्र दवेर्षी, व्याख्याता कालेज शिक्षा को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना पर वेबसाईड पर डालने का श्रम करें ।


संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर